[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

रहे हैं ? क्या वह इन परिस्थितियों में एक सप्ताह तक देश से बाहर रह सकेंगे ? और देश से बाहर जाने के समय वह अपना चार्ज किस को देंगे । आप के द्वारा प्रधान मंत्री जी और सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री जी कम से कम ऐसी व्यवस्था तो अवश्य कर के जायें कि इस समय देश में संकट की जो स्थिति चल रही है, उस को दृष्टि में रखते हुए प्रति पक्षी सदस्यों की इस प्रकार की एक समिति बना दी जाये, जिसको सरकार प्रति सप्ताह विश्वास में लेती रहे और उस के माध्यम से देश को इस विषय में विश्वस्त सूचना मिलती रहे । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, अपने पांच बजे के वक्तव्य में इस बारे में भी अवश्य बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन की मर्जी है कि वह जो भी कहें ।

13.28 hrs.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

Mr. Speaker: I have received notices of breach of privilege. One is from Shri Madhu Limaye. The one I received earlier was from Shri V. C. Shukla, one from Shri A. S. Saigal. There are also others here. It is signed by many hon. members, Shri Gopal Dutt Mengi, Shri Shankar Alva, Shri K. N. Tiwary and other hon. Members.

So far as these three are concerned—I am reading it out—the notice given by Shri Gopal Dutt Mengi, Shri Shankar Alva, Shri K. N. Tiwary and others, Shri Saigal and Shri Shukla, all these relate to the breach, according to them, committed by Shri Madhu Limaye and others in taking the case to the court and there making certain allegations. Because it is still subject to adjudication by the court and it is before the court, I will keep it pending here. This House would be seized of it....

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): May I make a submission about this?

Mr. Speaker: I am not discussing it just at present. I think we should not discuss it.

Shri Vidya Charan Shukla: I am not going into the merits. I just want to say this that this particular motion, of which I have given notice, does not go into the merits or demerits of the questions which have been agitated in the writ petition. My question is entirely different.

Mr. Speaker: Even then, I would advise the House to keep it pending. We will consider that after the court has given the judgment.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): On a point of order. I would like to make a submission.

Mr. Speaker: Let me finish

So far as Shri Limaye's notice about breach of privilege is concerned, he says that our Attorney-General has committed a breach in arguing the case in the way he has done. He has taken exception to certain arguments that he has made there.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : दलील नहीं जो वाकात—

अध्यक्ष महोदय : वाकात कहे, उन की बाबत उन को एतराज है । यह तो एटर्नी जनरल का प्रिवलेज है कि कोर्ट के सामने वह क्या कहते हैं । इस के बारे में ब्रीच ग्राफ प्रिवलेज नहीं हो सकता है । मैंने इस को डिसग्रलाउ कर दिया है ।

श्री मधु लिमये : मुझे भी कुछ कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : और नहीं ।

श्री मधु लिमये : अगर इस चीज को आप ले ही नहीं रहे तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप के प्रिविलेज मोशन को नामंजूर कर दिया है ।

श्री मधु लिमये : मेरे सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार का मामला है अगर उस को आप लेना नहीं चाहते हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ने बता दिया है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि आप के सम्बन्ध में जो है उस को इस वक्त नहीं ले रहा हूं, उस को मैं पेंडिंग रख रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : तो मेरे को भी आप पेंडिंग रखिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं रख सकता हूं । जो आर्गुमेंट किये हैं, वे ब्रीच आफ प्रिविलेज . . .

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस को आप सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जो बहस यहां हो वह कोर्ट में ले जाई जाये और जो बहस कोर्ट में हो, उस को यहां इस हाउस में लाया जाय, उस पर जो हम बहस करें, फिर वह कोर्ट में ले जाई जाये और जो वहां दलीलें दी जायें, उन को फिर यहां लाया जाए, यह किस तरह से चलता रह सकता है ।

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है : . . .

अध्यक्ष महोदय : और कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मधु लिमये : आप ने जो कहा है, बात उस तरह से नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो नोटिस दिया है, उस को मैं ने देख लिया है और मैं ने आप से. . .

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये । मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं और न ही मैं इस चीज में कोई गर्मी लाना चाहता हूं ।

मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि एटर्नी जनरल के द्वारा या किसी भी दूसरे वकील के द्वारा किसी अदालत में जो कहा जाता है, वह भी विशेषाधिकार में आता है ? यह संविधान की किस धारा के अन्दर किया जा रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं इस सदन में जो कहा जाता है यह तो विशेषाधिकार में आता है क्योंकि 105 (2) धारा है । यह तो बिल्कुल साफ बात है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक एटर्नी जनरल की अदालत में की गई बात किस धारा के अन्दर सुरक्षित--प्रोटैक्टेड--है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल मुझ से कर रहे हैं कि जो एटर्नी जनरल ने वहां आर्गु किया वह किस तरह से प्रोटैक्टेड है--

श्री मधु लिमये : मेरे बारे में जो रिमार्क्स किए, वे किस के आधार पर, कानून की किस धारा के अन्तर्गत प्रोटैक्टेड हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने नहीं बताना लिमये साहब को कि वह किस के आधार पर प्रोटैक्टिड हैं क्योंकि रिलीफ मेरे पास नहीं है । यह मधु लिमये साहब को बताना था ।

श्री मधु लिमये : आप ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं ले सकता हूं । अदालत में कोई कार्रवाई हो रही हो और कोई काउंसेल. . .

श्री मधु लिमये : दखल देने की बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से कहा है कि अदालत में जो वकील बहस करता है उस पर कोई अधिकार, कोई विशेषाधिकार पैदा नहीं होता है किसी मेम्बर को और मैंने उस को नामजूर कर दिया है ।

Shri U. M. Trivedi: You were pleased to remark that this matter of breach of privilege against Shri Limaye, which has been moved by Shri Shukla, maybe kept pending. To a great extent I agree with you, but on one point I do not agree with you, on which I want to make a submission.

The point for consideration is only this much, whether the privilege motion on the untruthful statement of fact made by Shri Limaye can be kept pending only because there is another litigation going on. That litigation is not concerned with the statement of the fact. The fact still remains on record that Shri Limaye did make a false statement, a false statement before a court of law, and if that false statement is the only statement for which a breach of privilege motion can be moved, I think that it is proper, that it should not be kept pending, and that an enquiry should be made.

Shri Shinkre (Marmagoa): He has gone to court.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj) May I make a submission on this matter?

Mr. Speaker: We should conclude it now. He will please hear me. The motions that have been made include certain other things also. Therefore, it is advisable that we should wait for that judgment to be announced. That is what I have put before the House.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Cognate matters.

Shri Vidya Charan Shukla: Motions have been made against the Speaker .... (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में कहा गया है कि अदालत में मैंने कुछ झूठ बातें कहीं । मेरा यह आरोप है कि एटर्नी जनरल ने मेरे बारे में अदालत में झूठ बातें कही हैं । अगर मेरी बात यहां पर आ सकती है तो एटर्नी जनरल के द्वारा मेरे बारे में जो झूठ बातें कही गई हैं, वे भी यहां आ सकती हैं ....

अध्यक्ष महोदय : हर एक जगह ....

श्री मधु लिमये : लोक सभा के मेरे वक्तव्य के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : जो कोई कहीं कहेगा लोक सभा के बारे में, वह सब प्रिवेलेज मोशन में यहां नहीं आ सकता है ।

श्री मधु लिमये : मैंने जो कहा है अदालत में वह कैसे आ सकता है । एटर्नी जनरल का भी आना चाहिये मैं ने जो झूठ कहा है वह तो जरूर आना चाहिये । और अगर एटर्नी जनरल ने झूठ कहा है वह भी आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खामोश होंगे या नहीं ?

श्री मधु लिमये : यह आरोप है कि मैं ने जो कुछ ....

अध्यक्ष महोदय : मैं ने जो कुछ कहना था वह कह दिया है, अब आप बैठ जायें ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) अध्यक्ष महोदय, 377 में ने कुछ रेज करना चाहा था ...

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णमाचारी के सम्बन्ध में ....

श्री राम सेवक यादव : वह तो अगले सैशन में जायेगा ।

जो श्री मधु लिमये ने याचिका पंजाब उच्च-न्यायालय के सामने दायर की है और जिस के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है, उस के सम्बन्ध में मैं कुछ रेज करना चाहता हूं। सदन को इत्तिला जब दी गई थी, इस के बारे में उस वक्त यहां पर चर्चा हुई। उस चर्चा के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप यह निश्चय हुआ और इस सदन ने या आप ने एक तरह से कहा कि लोक सभा के अध्यक्ष अदालत के सामने नहीं जायेंगे। सिर्फ प्रधान मंत्री ने यह कहा कि एटर्नी जनरल या किसी और को भेजेंगे जो केवल वाच करेंगे। लेकिन आज जो अखबार में निकला वह यह है कि एटर्नी जनरल ने बाकायदा बहस की और बहस में वह सारी चीज आई जिस के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष को अदालत ने नोटिस दिया था। मेरा निवेदन यह है कि यह जो कर्म हुआ है यह इस लोक सभा के निर्णय के विपरीत हुआ है और उचित नहीं है और एक तरह से लोक सभा की हाजिरी वहां पर हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : हाजिरी कोई नहीं हो गई है इस में।

13.38 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

TEA (SECOND AMENDMENT) RULES

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of the Tea (Second Amendment) Rules 1965, published in Notification No. G.S.R. 639 dated the 1st May, 1965, under sub-section (3) of section 49 of the Tea Act, 1953.

[Placed in Library, *see* No. LT-4398/65].

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES ETC., OF INDIAN AIRLINE CORPN.

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): On behalf of Shri Kanungo I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub rule (5) of rule 3 of the Air Corporations Rules, 1954:—

(i) Summary of Budget Estimates of Revenue and Expenditure of the Indian Airlines Corporation for the year 1965-66.

[Placed in Library, *see* No. LT-4399/65].

(ii) Summary of Actuals for the year 1963-64, Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1964-65 and Budget, Estimates for the year 1964-65 under Capital, of the Indian Airlines Corporation.

[Placed in Library, *see* No. LT-4400/65].

(iii) Summary of Budget Estimates of Revenue and Expenditure of the Air India for the year 1965-66.

[Placed in Library, *see* No. LT-4401|65].

(iv) Summary of Actuals for the year 1963-64, Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1964-65 and Budget Estimates for the year 1965-66 under Capital, of the Air India.

[Placed in Library, *see* No. LT-4402|65].

STATISTICAL INFORMATION ON THE WORKING OF THE P. D. ACT.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): On behalf of Shri Hathi I beg to lay on the Table 'Statistical Information regarding the working of the Preventive Detention Act, 1950, during the period 30th September, 1963 to 30th September, 1964.

[Placed in Library, *see* No. LT-4403|65].